भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उप खण्ड (ii)में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 37/2015–20
नई दिल्ली, दिनांकः 18 दिसम्बर, 2019

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएस कोड 0713 1000 के तहत आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

**सा.आ.(अ.)** समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएस कोड 0713 1000 के तहत आयात नीति और नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है :

| एक्जिम कोड | मद विवरण | मौजूदा आयात नीति | संशोधित नीति | मौजूदा नीतिगत शर्त | संशोधित नीतिगत शर्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 0713 10 00 | मटर (पिसम सेटिवम), पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर सहित | प्रतिबंधित | प्रतिबंधित और प्रति कि.ग्रा. 200/– रुपए सीआईएफ की न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) के अधीन | मटर का आयात डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार 1.5 लाख मी. टन के वार्षिक (वित्तीय वर्ष) कोटा के अधीन होगा। यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय समझौता अथवा समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात प्रतिबद्धताओं के लिए लागू नहीं होगा। | मटर का आयात डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार 1.5 लाख मी.टन के वार्षिक (वित्तीय वर्ष) कोटा के अधीन होगा और यह प्रति कि.ग्रा. 200/– रु. और इससे अधिक सीआईएफ की न्यूनतम आयात कीमत के अधीन होगा एवं आयात केवल कोलकाता समुद्री पतन के माध्यम से अनुमत है। यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय समझौता अथवा समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात प्रतिबद्धताओं के लिए लागू नहीं होगा। |

**अधिसूचना का प्रभावः** पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर सहित मटर (पिसम सेटिवम) का आयात प्रतिबंधित है और आयात प्रति कि.ग्रा. 200/– रु. सीआईएफ की एमआईपी के अधीन होगा और आयात केवल कोलकाता समुद्री पतन के माध्यम से अनुमत किया जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(दिवाकर नाथ मिश्र)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव,
ई–मेल : dgft@nic.in

दिवाकर नाथ मिश्रा/Diwakar Nath Misra
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
वाणिज्य विभाग/Department of Commerce
भारत सरकार/Government of India
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
Udyog Bhawan, New Delhi-110011

(फा.सं. 14/3/2018–ईपी (एग्री.III) से जारी)

**टिप्पणीः** दिनांक 17 जनवरी, 2017 की प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015–2020, को दिनांक 17 जनवरी, 2017 की सं. सा.आ. 172(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.आ. 6364(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।